FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

पत्र सं. 351 /2025 — दायरा दिनांक : 07.11.2025

<u>प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.</u>

उनवान

कान्तिबाई [illegible] बलाई नि० [illegible]

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
06/11/2025	ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 12/11/2025 को पेश को हो।	
12/11/2025	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी व पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ना तो ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू.प्रबंध विभाग के सर्वे–रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी की जाति में कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया है जिससे जाति "बलाई" एवं जाति "मेहर" दोनो समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग जयपुर की अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होना साबित होता है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Kumar Meena Date: 2025.12.30 17:32:46 IST Reason: SelfAttested (दिनेश कुमार मीणा) [illegible] रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner